न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 117/2018

अनवान :

1. महावीर पुत्र जयसिंह जाति जाट आयु 36 वर्ष निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

– वादी

बनाम

1. जयसिह पुत्र मलूराम जाति जाट निवासी कणाऊ तह0 भादरा।
2. राजेश कुमार पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी कणाऊ तह0 भादरा।
3. ओमकलां पुत्री जयसिंह पत्नि सुरेन्दसिंह जाति जाट नि0 कणाऊ हाल मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. बैंक एस.बी.बी.जे. शाखा भादरा (वर्तमान एस.बी.आई.) जरिये शाखा प्रबधंक।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री पूनमचन्द वर्मा : **वादी**

वकील श्री संजीव कुमार कोशिक :**प्रतिवादी सं0 1 ता 3**

निर्णय **दिनांक :**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कणाऊ की जमाबंदी सम्वत् 2072– 2075 के खाता सं0 82/81 के खसरा सं0 143 की 4.831 है0 बारानी, खसरा सं0 153 की 4.882 है0 बारानी और खसरा नं0 186 की 11.015 है0 बारानी कुल 20.728 है0 बारानी वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 और अमरसिंह के नाम बहिस्सा बराबर खातेदारी दर्ज है और रौही मौजा कणाऊ के ही खाता सं0 199/202 के खसरा सं0 613/153 की 1.518 है0 बारानी भी वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 और अमरसिह के नाम बहिस्सा बराबर खातेदारी दर्ज है। उक्त वाद भूमि हिन्दू खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता को वादी के दादा मलुराम से प्राप्त हुई है। उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक हिस्सा है। जो वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा है। उक्त वाद भूमि पारिवारिक सेंटलमेंट के मुताबिक वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 2 को बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई है इसी अनुसार वे काश्त करते चले आ रहें है प्रतिवादीया सं0 3 वादी की बहिन है जो शादीशुदा है तथा अपने ससुराल में खुशी से आबाद है जिसने अपने हक हिस्सा की भूमि अपनी शादी के समय अपने भाई वादी और प्रतिवादीगण सं0 2 के पक्ष में तर्क किया हुआ है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 3 ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया है। प्रतिवादी सं0 4 को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादी में महावीर के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम कणाऊ खाता सं0 82/81 के सम्वत् 2072–75 की प्रदर्श 2, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम कणाऊ खाता सं0 199/202 सम्वत् 2072–75

प्रदर्श 3, फोटो प्रति प्रमाणित जमबान्दी भू–प्रबन्ध विभाग ग्राम कणाऊ सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये एवं चित्रप्रति नामान्तरकरण ग्राम कणाऊ की पेश की है।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि हिन्दू खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता को वादी के दादा मलुराम से प्राप्त हुई है। उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक हिस्सा है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम कणाऊ के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम कणाऊ खाता सं0 199/202 सम्वत् 2072–75 प्रदर्श 3, फोटो प्रति प्रमाणित जमबान्दी भू–प्रबन्ध विभाग ग्राम कणाऊ सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाई है एवं चित्रप्रति नामान्तरकरण ग्राम कणाऊ की पेश की है उनमें वाद भूमि वादी के दादा मलुराम वल्द ज्ञानाराम के नाम दर्ज है जिससे वादभूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 में जयसिंह के वारिसान में पत्नी जमना, दो पुत्र महावीर, राजेश कुमार व एक पुत्री ओमकला होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम कणाऊ की जमाबंदी सम्वत् 2072– 2075 के खाता सं0 82/81 के खसरा सं0 143 की 4.831 है0 बारानी, खसरा सं0 153 की 4.882 है0 बारानी और खसरा नं0 186 की 11.015 है0 बारानी कुल 20.728 है0 बारानी प्रतिवादी सं0 1 जयसिंह व अमरसिंह के नाम बहिस्सा बराबर खातेदारी दर्ज है और रौही मौजा कणाऊ के ही खाता सं0 199/202 के खसरा सं0 613/153 की 1.518 है0 बारानी भी प्रतिवादी सं0 1 और अमरसिह के नाम बहिस्सा बराबर खातेदारी दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 जयसिंह के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 2 दोनों संयुक्त रूप से 3/8 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 जयसिह 1/8 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादिया सं0 3 ओमकला ने पारिवारिक सैटलमेन्ट में अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग दी है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही वादी व प्रतिवादी सं0 2 के नाम संयुक्त रूप से 3/8 हिंस्सा व प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/8 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13-6-17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 117/2018

अनवान :

1. महावीर पुत्र जयसिंह जाति जाट आयु 36 वर्ष निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

- वादी

बनाम

1. जयसिह पुत्र मलूराम जाति जाट निवासी कणाऊ तह0 भादरा।
2. राजेश कुमार पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी कणाऊ तह0 भादरा।
3. ओमकलां पुत्री जयसिंह पत्नि सुरेन्दसिंह जाति जाट नि0 कणाऊ हाल मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. बैंक एस.बी.बी.जे. शाखा भादरा (वर्तमान एस.बी.आई.) जरिये शाखा प्रबधंक।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पूनमचन्द वर्मा एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 3 श्री संजीव कुमार कौशिक की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम कणाऊ की जमाबंदी सम्वत् 2072– 2075 के खाता सं0 82/81 के खसरा सं0 143 की 4.831 है0 बारानी, खसरा सं0 153 की 4.882 है0 बारानी और खसरा नं0 186 की 11.015 है0 बारानी कुल 20.728 है0 बारानी प्रतिवादी सं0 1 जयसिंह व अमरसिंह के नाम बहिस्सा बराबर खातेदारी दर्ज है और रौही मौजा कणाऊ के ही खाता सं0 199/202 के खसरा सं0 613/153 की 1.518 है0 बारानी भी प्रतिवादी सं0 1 और अमरसिह के नाम बहिस्सा बराबर खातेदारी दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 जयसिंह के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 2 दोनों संयुक्त रूप से 3/8 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 जयसिह 1/8 हिस्सा का खातैदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादिया सं0 3 ओमकला ने पारिवारिक सैटलमेन्ट में अपने हक हिस्सां की कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग दी है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही वादी व प्रतिवादी सं0 2 के नाम संयुक्त रूप से 3/8 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/8 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 13-6-18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर R.A.S.
सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़